संख्या 584
दिनांक 18-5-89

संख्या:-634/36-6-89-84(टी)/87

कृपया आवश्यक कार्यवाही करें
जिला अधिकारी
बुलन्दशहर 11/5/89

प्रेषक,

श्री बिहारी लाल
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रम अनुभाग-(6) लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 1989

विषय- झाझर तथा औरंगाबाद (बुलन्दशहर) में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- 2563/विकास-4-08-1(कि)/88, दिनांक 27 मार्च 1989 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने झाझर तथा औरंगाबाद (बुलन्दशहर) में इलेक्ट्रीशियन 16 सीट, वायरमैन-16 सीट, इलेक्ट्रानिक्स-16 सीट, रेडियो एण्ड टी.वी. मैकेनिक-16 सीट, फिटर-12 सीट कुल 76-76 सीटों वाले एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए साजसज्जा के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में रुपये- 20,00,000/-(रुपये बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. मशीनों व साजसज्जा आदि का क्रय निदेशालय में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मानक सूची के अनुसार तथा स्टोर्स परचेज रूल्स व समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा, जिसकी प्रशिक्षण के लिए नितान्त आवश्यकता हो। साजसज्जा/मशीन जो नई सूची के अनुसार प्रदेश के अन्य संस्थानों की किसी व्यवसाय में अनुपयोज्य/सरप्लस हो गई है और उक्त व्यवसायों के लिए आवश्यक है, को उक्त संस्थान हेतु क्रय नहीं किया जायेगा। साजसज्जा की सूचियों में जो मद अनावर्तक (आवर्तक) है, वह एक ही बार क्रय किये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में एक ही सामान दुबारा न क्रय किया जाये। जो भी साजसज्जा/मशीनें क्रय किये जायेंगे उसकी प्रमाणित सूची वास्तविक मूल्य सहित शासन को 30 जून, 1989 तक अवश्य भेजदी जायेगी।

----2/-

3. चूंकि चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में आयव्ययक में इस कार्य हेतु कोई प्राविधान नहीं है तथा यह अतिआवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः राज्यपाल महोदय [illegible] तथा औरंगाबाद (बुलन्दशहर) में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण की स्थापना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रुपये- 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम आहरित करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति यथा समय अनुपूरक मांगों के माध्यम से करली जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः राज्य-आकस्मिकता निधि के नामे डाला जायेगा तथा अन्ततः आयव्ययक के अनुदान संख्या-70 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-01-कारीगर प्रशिक्षण योजना-20-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
ह0/- (बिहारी लाल)
संयुक्त सचिव।

वित्त विभाग

संख्या- ई-7/सी.एम./648/1/89-36-6-89-8(टी)/87

प्रतिलिपि महालेखाकार, रिपोर्ट ग्रुप, उ0प्र0, इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/- विद्यानन्द (डोभियाल)
अनुसचिव (वित्त)

संख्या-633(1)/36-6-89-8(टी)/87, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधानाचार्य, औ0प्र0संस्थान, बुलन्दशहर।
2. आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ/जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आयव्ययक) अनुभाग-1/नियोजन [illegible]।
5. ...य अनुभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

आज्ञा से,
ह0/- (बिहारी लाल)
संयुक्त सचिव।